संख्या-62 /2022/I/175256/2022/001-71-2099-534-2020

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2022

विषय:-संस्थान परिसर में सी0एस0एस0डी0, किचेन लाण्ड्री, नर्सेस हास्टल आदि के निर्माण कार्य हेतु सिक्योरिटी मद में रोकी गयी 05 प्रतिशत की धनराशि छोड़ते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-147/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2022, दिनांक 13 अप्रैल, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना हेतु सिक्योरिटी मद में रोकी गयी 05 प्रतिशत की धनराशि छोड़ते हुए अवशेष धनराशि रू0 31.95 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि संस्थान परिसर में सी0एस0एस0डी0, किचेन लाण्ड्री, नर्सेस हास्टल आदि के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-02/2015/3428/71-2-15-आर0एम0-31/2010 दिनांक 08-01-2016 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 4708.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0 4441.18 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान परिसर में सी0एस0एस0डी0, किचेन लाण्ड्री, नर्सेस हास्टल आदि के निर्माण कार्य हेतु सिक्योरिटी मद में रोकी गयी 05 प्रतिशत की धनराशि छोड़ते हुए अवशेष धनराशि रू0 31.95 लाख (इकतीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. निदेशक, संस्थान एवं कार्यदायी संस्थाग द्वारा आगणन में वर्णित शेष कार्यो यथा:- सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाने का कार्य (रू0 40.85 लाख), 01 नग डीजल जनरेटर सेट (01 डीजल जनरेटर सेट का रू0 44.42 लाख) तथा स्मोक स्ट्रैक्शन सिस्टम (रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12.00 लाख) को माह जून 2022 तक प्रत्येतक दशा में पूर्ण कराकर हस्तगन की कार्यवाही की जाए।

2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्याकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। संस्थान द्वारा धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय/स्टोर परचेज नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्ययवस्थात के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा, इसका पूर्ण दायित्वो संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्याश-02/2015/3428/71-2-15-आर0एम0-31/2010 दिनांक 08-01-2016 द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था2न, लखनऊ द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,95,000 (रुपये इकतीस लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1 के शासनादेश संख्याः 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-62 /2022//I/175256/2022/001-71-2099-534-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था्न, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमि0, लखनऊ, 3/452 विराम खण्डी गोमती लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्तय (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasa.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।